मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-21

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2006 (चैत्र 2, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 131 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 130 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य तहसील दस्यु उन्मूलन योजना के तहत स्वीकृत मार्ग का निर्माण न किये जाने,

(2) श्री राम निवास रावत,सदस्य ने विजयपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर में बंदरों का आंतक होने,

(3) श्रीमती अलका जैन,सदस्य ने कटनी कृषि उपज मंडी द्वारा घटिया किस्म का विद्यत जनरेटर खरीदे जाने,

(4) श्री उमा शंकर गुप्ता,सदस्य ने भदभदा (चौराहा) डिपो के सामने मंदिर में लगे हुए अस्थाई मीट मार्केट हटाये जाने,

(5) श्री गजराज सिंह सिकरवार,सदस्य ने प्रदेश के स्नातक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रिक्त पदों के विरूद्द विभिन्न विषयों के शैक्षणिक कार्य हेतु विद्वानों को विलम्ब से रखे जाने,

(6) श्री सुखदेव पांसे,सदस्य ने शिवपुरी जिले ग्राम सिरसौना में नाबालिक लड़की का अपहरण कर हत्या की जाने,

(7) श्री रामदास उइके,सदस्य ने जिला छिन्दवाड़ा की जुन्नारदेव तहसील में ओला प्रभावित किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि अनियमितता होने,

(8) श्री ओम प्रकाश पुरोहित,सदस्य ने मल्हारगढ़ तहसील ग्राम बूढ़ा गांव में सुलभ मार्ग बनाये जाने, तथा

(9) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा,सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम गंज स्थित निजी भूमि पर जल संसाधन विभाग का अवैध कब्जा कर कालोनी का निर्माण किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड मंडीदीप, भोपाल का 14 वां एवं 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004, तथा

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण-की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में पांच सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर पांचों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य ने श्योपुर जिले के ग्राम सहसराम से डकैतों द्वारा एक व्यापारी के अपहरण का प्रयास किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य ने पन्ना जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्य न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने ग्वालियर नगर में अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे एक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने शिवपुरी जिले के ग्राम पतानेर निवासी महिला की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) सर्वश्री शिवराज शाह, दुलीचंद उरैती, देवसिंह सैयाम, सदस्य ने मंडला जिले में मुक्ति मोर्चा के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री रमेश सक्सेना, सभापति ने याचिका समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री ध्यानेन्द्र सिंह सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बाईसवां से उनतीसवां प्रतिवेदन, तथा

(3) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का षष्टम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री मोहन शर्मा, सदस्य ने राजगढ़ जिले के ग्राम झाड़ला से ढाबला तक सड़क बनाये जाने,

(2) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) विकास खण्ड उमरियापान के पान बरेजों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने, तथा

(ख) खितौला-उमरियापान मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(3) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य ने ग्वालियर जिले के -

(क) ग्राम पारसेन में पुलिस चौकी खोले जाने,

(ख) ग्राम कुंवरपुर में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम दंगियापुरा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(4) श्री संजय शर्मा, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के -

(क) बरमानघाट (नर्मदा नदी) पर पुल बनाये जाने

(ख) ककराघाट (नर्मदा नदी) पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम आंवरिया से डोभी तक सड़क बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार दिनांक 23 मार्च, 2006 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न लिखित शासकीय विधेयकों पर उनके सम्मुख अंकित अनुसार समय आवंटित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006)	30 मिनिट
(1)	भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006)	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006)	1 घन्टा
(3)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006)	2 घन्टे

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि नियमों को निलम्बित करते हुए शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2006 को अशासकीय कार्य न रखा जावे. उक्त तिथि को सदन में भोजनावकाश समाप्त कर वर्तमान सत्र की अवधि दिनांक 24 मार्च, 2006 तक ही रखी जाये।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि गुरुवार दिनांक 23 मार्च, 2006 को विधानसभा परिसर स्थित आडिटोरियम में माननीय सदस्यों के लिये निम्नानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है :-

अपराह्न 1.00 बजे से 02.30 बजे

केन्द्रीय जेल भोपाल के बंदियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति.

सायं 7.00 बजे से

नवांकुर संस्थान द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत गीत, गजल संध्या व माननीय विधायकों की प्रस्तुति.

उपर्युक्त अवसरों पर विधानसभा परिसर में माननीय सदस्यों के लिए दोपहर 12.30 बजे श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय मंत्री, जेल, मध्यप्रदेश शासन की ओर से दोपहर भोज एवं रात्रि 9.00 बजे माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भोज में उपस्थित होने का कष्ट करें।

9. वक्तव्य

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने शासकीय चिकित्सालयों में प्रदाय की जाने वाली भोजन की दर वृद्धि करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(12.54 बजे से 3.03 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

10. वक्तव्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 15) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006),

(2) श्री अजय विश्नोई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 3 सन् 2006), पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) श्री राम लखन शर्मा

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन की अनुमति से सूचना दी कि आज हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लोक सभा की सीट से इस्तीफा दे दिया है)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वर दास रोहाणी) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

(श्री रामलखन शर्मा तथा श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा,सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 3 सन् 2006) में बिना किसी नोटिस के सेवा से निकालने के किये गये प्रावधान के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 3 सन् 2006) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

03.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2006 (चैत्र 3, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.